



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-206  
6/10/2023


क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 3178

दिनांक 6/10/2023

## आम सूचना


निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटन का नाम	भूखण्ड/दुकान	भूखण्ड क्षेत्र (व०ग०)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जि.व.प्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री शशि ताम्बी पत्नी श्री सुरेन्द्र ताम्बी	स्वयं	116	166.66	निजी खातेदारी	नारायण विहार-जेड	फ्री होल्ड	आवेदक द्वारा खातेदार/विकास समिति से प्राप्त कर भिन्न-भिन्न एक से अधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से।
2.	श्री विष्णु प्रकाश कौशिक पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र प्रकाश कौशिक	स्वयं	140-ए	110.00	श्यामपुरी गृ. नि.स.स.लि.	कृष्णा विहार	लीजडीड	सदस्य सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने से।
3.	श्री बृजमोहन शर्मा पुत्र स्व० श्री बंशीधर शर्मा	श्री भंवर लाल चौधरी पुत्र श्री गणेश लाल चौधरी	128	183.3	श्यामपुरी गृ. नि.स.स.लि.	कृष्णा विहार	लीजडीड	रजि० हकत्याग व मृत्यु प्रमाण पत्र होने से।
4.	दुर्गेश तिवाड़ी पुत्र श्री गायत्री कुमार तिवाड़ी	स्वयं	79-ए	162.00	श्यामपुरी गृ. नि.स.स.लि.	कृष्णा विहार	लीजडीड	सदस्य सूची में भूखण्ड संख्या 79-ए अंकित नहीं होने से।

  
उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

  
उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8310}: फैक्स - +91-141-2574555

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-3148

दिनांक:- 5/10/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री हरिकेश बैरवा पुत्र श्री पुनीराम बैरवा	श्री रामोतार पुत्र श्री रामधन	जी- 1111	---	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 09.11.2009 के आधार पर
2	श्रीमती मुमताज बानो पत्नी श्री खालिद हुसैन	श्री मोहन मुखिया पुत्र श्री नयनी मुखिया	एफ- 917	---	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	नाम हस्तान्तरण एवं पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 17.10.2015 के आधार पर
3	श्रीमती बानो पत्नी श्री अब्दुल लतीफ	श्री बंशीधर पुत्र श्री जय नारायण	जी-1308	---	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 07.02.2018 के आधार पर
4	श्रीमती बानो पत्नी श्री अब्दुल लतीफ	श्रीमती ऋतु शर्मा पत्नी श्री दिनेश शर्मा	एफ-1308	---	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 16.04.2016 के आधार पर
5	श्रीमती सीमा साहू पत्नी श्री गणेश साहू	श्री प्रहलाद पुत्र रामकुमार	जी-1291	---	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 16.03.2018 के आधार पर
6	श्री गणेश साहू तेली पुत्र श्री प्रभू दयाल	श्री रामदास पुत्र पन्नालाल	एफ-1291	---	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 12.02.2019 के आधार पर

24  
उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू ओ. नोट

विषय:- प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत नियमन शिविर के सम्बन्ध में।

### आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती संजना देवी पत्नी श्री पूरणमल कुमावत	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी रूपनारायण	2बी	236.6	मित्र गृनिसस	जीवनदीप कॉलोनी स्कीम नं.03	लीजडीड जारी करने हेतु	अनुमोदित मानचित्र मे भूखण्ड सृजन एवं समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची मे नाम अंकित नही है।
2	श्री कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल	श्री राम प्रताप यादव	3ए	276.11	मित्र गृनिसस	जीवनदीप कॉलोनी स्कीम नं.03	लीजडीड जारी करने हेतु	अनुमोदित मानचित्र मे भूखण्ड सृजन एवं समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची मे नाम अंकित नही है।
3	श्री अमित मनोहर सावड पुत्र श्री बद्री नारायण सावड	सत्यनारायण सैन पुत्र स्व.श्री मूलचन्द सैन	13	117.28	मित्र गृनिसस	परसराम नगर स्कीम-03	लीजडीड जारी करने हेतु	अपंजीकृत दस्तावेजात् एवं समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची मे नाम अंकित नही है।
4	श्री गम्भीर प्रसाद सैनी जयप्रकाश सैनी पुत्रान् प्रभाती लाल	प्रभाती लाल पुत्र श्री विश्वनाथ	क-22	234.62	खुदाबादी सोनार गृनिसस	भवानी नगर	लीजडीड जारी करने हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र, संजरा वंशावली एवं पंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।

उत्सुकता से पत्र 6

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004 जयपुर विकास प्राधिकरण

दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : {rajasthan.gov.in}

जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

5.	श्री बालेश चौहार पत्नी श्री दिलीप सिंह चौहान	श्री बालेश चौहार पत्नी श्री दिलीप सिंह चौहान	5	89.00	नवभारत गृहसस	बी.डी.नगर	लीजडीड जारी करने हेतु	समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं होने के सम्बन्ध में।
----	---	---	---	-------	--------------	-----------	--------------------------	--

प्रामुक्त जोन-6  
जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जयपुर के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।

यू.ओ.नोट क्रमांक जयपुर/उपा.जोन-06/23/डी-2957

दिनांक: 6/11/23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : (rajasthan.gov.in)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102977

दिनांक: 06/10/2023

लोक सूचना

मैसर्स रामचन्द्र इन्फ्रा डवलपर्स जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री विजय कुमार सैनी कार्यालय शॉप नम्बर 20-21, सैक्टर 12, जयपुर 122/बी, मानसरोवर, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:


क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे)
1.	तेजावाला, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स रामचन्द्र इन्फ्रा डवलपर्स कार्यालय शॉप नम्बर 20-21, सैक्टर 12, जयपुर 122/बी, मानसरोवर, जयपुर।	820/15	1798	0.1798
			822/14	3180	0.3180
			824/27	2800	0.28
			823/27	1100	0.11
			28	1500	0.15
			28/2	300	0.03
			29/1	300	0.03
			30/1	200	0.02
			28/1	600	0.06
			31/1	400	0.04
			32/1	1000	0.10
			30/2	100	0.010
31/2	200	0.02			
कुल				13478	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक, दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपर्युक्त नियम समग्र के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **06-10-2023** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

# कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102957

दिनांक : 04.10.2023

### लोकसूचना

श्री रामशरण अग्रवाल जरिये मुख्यारनामा आम श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री शंकर लाल गुप्ता, निवासी- 1, महाराजा कॉलोनी, तीन दुकान, देहर के बालाजी, सीकर रोड, जयपुर।


कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वेयर हाउस (एकल पट्टा) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
आकेडा चौड, आमेर (जयपुर)	रामशरण अग्रवाल पुत्र श्री रामगोपाल अग्रवाल हिस्सा पूर्ण	868 / 627	4550.00	0.4550
कुल				0.4550

इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और अभिवृत्ति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा करने और अभिवृत्ति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04.10.2023 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : L.U2012/JDA/2023-24/102981

दिनांक : 06/10/2023

## लोक सूचना

श्री भंवर चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मण राम जाट हि. 302/1405 निवासी गांव निमेडा जिला जयपुर व रोहित चौपडा पुत्र श्री सी.एम. चौपडा हि. 6323/12645 निवासी 547 राम मार्ग, हनुमान नगर विस्तार, सिरसी रोड, जयपुर राज. एवं लक्ष्मण राम जाट पुत्र श्री नारायण लाल जाट हि. 3604/12645 निवासी 110, सुक्खा बाबा की ढाणी, गांव निमेडा जिला जयपुर राज. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अग्निधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल हैक्ट.
1.	ग्राम निमेडा, कालवाड (जयपुर)	श्री भंवर चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मण राम जाट हि. 302/1405 निवासी गांव निमेडा जिला जयपुर व रोहित चौपडा पुत्र श्री सी.एम. चौपडा हि. 6323/12645 निवासी 547 राम मार्ग, हनुमान नगर विस्तार, सिरसी रोड, जयपुर राज. एवं लक्ष्मण राम जाट पुत्र श्री नारायण लाल जाट हि. 3604/12645 निवासी 110, सुक्खा बाबा की ढाणी, गांव निमेडा जिला जयपुर राज.	671/293 674/290	0.9190 0.3455
कुल किता			02	1.2645

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अग्निधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अग्निधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDII) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और गुहर के अधीन आज 06-10-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोग-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

015





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 3302


दिनांक:- 5/10/2023

जनसम्पर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती गंगा देवी	ई-38	जविप्रा	झालाना फ़ैज-III	पट्टा	अपजीकृत इकरारनामा



उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।